न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 278/2015/223 (2015/00259)

घीसालाल पुत्र धूलचंद (मृतक)जरिये वारिसानः—

1. भूलादेवी बेवा घीसालाल,
2. कैलाश पुत्र घीसालाल,
3. गौरीशंकर पुत्र घीसालाल,
4. गोपीलाल पुत्र घीसालाल,
5. कैलाशी उर्फ लाडदेवी पुत्री घीसालाल,
6. पुष्पादेवी पत्नि सत्यनारायण,

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी सल्लारी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

रामलक्ष्मण पुत्र रामकृपाल (मृतक)जरिये वारिसानः— ।

1. विमलादेवी बेवा रामलक्ष्मण,
2. पवन कुमार पुत्र रामलक्ष्मण,
3. चमन कुमार पुत्र रामलक्ष्मण,
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामलक्ष्मण,
5. बेबीदेवी पुत्री रामलक्ष्मण,
6. शोभादेवी पुत्री रामलक्ष्मण,

समस्त जाति महाजन, निवासी सल्लारी हाल सापण्दा रोड़, केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 19.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 46/2006.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4.
3. रेस्पो0 संख्या 5 व 6 अनुपस्थित ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 22.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतगर्त धारा 88, 89 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि वादवर्णित आराजियात एकीकरण खसरा नंबर 280 रकबा 2—10—00 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 490 रकबा 0.03 है0 किस्म गै0मु0चाह, खसरा नंबर 491 रकबा 0.22 है0, 567 रकबा 0.15 है0 भूमियां ग्राम सलारी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर में अवस्थित है । उपरोक्त आराजियात वादी की पुश्तैनी कब्जा काश्त व खातेदारी की आराजियात है जिस पर वादी व वादी के पिता धूलचंद का इस्तमरारदारी समय से ही शांतिपूर्वक बैरोक—टोक निरन्तर कब्जा काश्त व स्वामित्व चला आ रहा है । एकीकरण पूर्व खसरा नंबर 280 में वादी ने एक चाह जिसमें वर्तमान खसरा नबर 490 भी बने है का भी निर्माण स्वंय ने कराया है व उपरोक्त चाह से स्वंय की आराजियात की सिंचाई निरन्तर करता चला आ रहा है व वर्तमान में खसरा नंबर 490 व 491 व 567 पर वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की होने से वादी ने स्टेट बैंक से ऋण प्राप्त किया है । वादी ने एक वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पूर्व में सन् 2001 में पेश किया था जिसमें भी प्रतिवादी ने दिनांक 19.4.2001 को उपरोक्त भूमि के पूर्व के खसरा नंबर 280 को वादी की भूमि माना है व चाह खसरा नंबर 490 को वादी की खातेदारी में मानकर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज होने की वजह से प्रतिवादी ने वादी से राजीनामा कर न्यायालय में पेश किया जिससे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजियात वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त में इंद्राज होने की प्रतिवादीगण को पूर्व से जानकारी थी । इसके बावजूद प्रतिवादीगण ने वादी के खिलाफ एक दावा रामप्रसाद बनाम घीसालाल वगैरह धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत दिनांक 14.6.2002 को पेश किया था जिसमें वादी ने काउन्टर क्लेम भी पेश किया था जिससे बचने के लिए प्रतिवादीगण ने दौराने वाद वादी से छिपाकर व न्यायालय में वाद के लंबित होने के तथ्य छिपाकर एवं प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत पेश कर बिना वादी को पक्षकार बनाये व सूचित किये निर्णय दिनांक 9.11.2004 को उपरोक्त आराजियात को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में इंद्राज करवाने के आदेश प्राप्त कर लिये जिसका पता चलने पर वादी ने एक प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष उपरोक्त आदेश की कियान्विति पर रोक लगाने हेतु पेश किया जिस पर दिनांक 19.3.2005 को अधी0न्याया0 ने तहसीलदार केकड़ी को उपरोक्त निर्णय पर अमल नहीं करने का आदेश प्रदान किया था इसके बावजूद प्रतिवादीगण ने तहसीलदार से मिलकर दौराने वाद को आराजियात का नामांतकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करवा लिया व लंबित वाद को वादी का काउन्टर क्लेम लंबित होने के बावजूद न्यायालय से खारिज करने की अर्जी प्रस्तुत कर दी जिसका वर्तमान वादी घीसालाल ने विरोध किया जिस पर अधी0न्याया0 ने वादी को पुनः वाद पेश करने का व खारिज की गई मिसल को प्रस्तुत किये जाने वाद को साथ तलब करवाकर संलग्न नया वाद प्रस्तुत करने आदेश देते हुए वाद को खारिज कर दिया । इस कारण वादी को अधी0न्याया0 के समक्ष दुबारा वाद वास्ते घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

करना आवयक हुआ है । अतः वाद स्वीकार कर खसरा नंबर 490, 491, 567 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम जो विधिविरूद्ध अंकन किया गया है को हजब कर वादी का नाम इंद्राज करने के आदेश प्रदान करावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2015 को वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । रामप्रसाद पुत्र भूरालाल द्वारा प्रस्तुत वादपत्र संख्या 81/2002 उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा दिनांक 30.11.2005 को अबेट होने से निरस्त फरमाया गया । उक्त वाद पत्र में अपीलांटस द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था जिस बाबत् अधी0न्याया0 द्वारा यह आदेश फरमाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांटस अपने हक अधिकार के लिए नये सिरे से न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपना हक प्राप्त कर सकते है । उक्त निर्देशों की पालना में उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष राजस्व वाद संख्या 46/2006 प्रस्तुत किया गया था लेकिन अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित करते हुए कि पूर्व में विवादित भूमि बाबत् प्रकरण दिनपांक 9.11.2004 को (धारा 136 एल0आर0एक्ट का प्रार्थनापत्र) निर्णित हो चुका है जिससे इसी आराजी बाबत् वादीगण/अपीलांटस वाद प्रस्तुत कर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, वादपत्र निरस्त कर दिया जबकि वाद संख्या 81/2002 में दिनांक 30.11.2005 को वादीगण को नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। ऐसी स्थिति में धारा 136 एल आर एक्ट के प्रार्थना पत्र में वादीगण को पक्षकार बनाये बिना निर्णित प्रार्थना पत्र दिनांक 9.11.2004 की आड लेकर उनके द्वारा आदेश अंतर्गत अंतर्गत अपील पारित कर दिया गया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 की संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 द्वारा न तो दर्ज किया गया है ना ही उस पर कोई उनवान अंकित है ना ही उक्त प्रार्थना पत्र में वादीगण/अपीलांटस को पक्षकार बनाया गया है । इसके बावजूद गैर कानूनी रूप से दिनांक 9.11.2004 को बिना दर्ज किए ही निर्णय पारित कर दिया जिससे उक्त निर्णय से वादीगण/अपीलांटस के हक अधिकार एवं स्वत्व कतई प्रभावी नही होते है । पत्रावली को दिनांक 19.6.2015 को कैम्प सल्लारी में प्रस्तुत हुई जिसमें अंकित किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित जिनमे तीन प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर है एवं वादीगण/अपीलांटस ना तो उपस्थित थे ना ही हस्ताक्षर हुए है फिर भी उन्हें उपस्थित होना दर्शा दिया गया तत्पश्चात् दिनांक 9.11.2004 को प्रकरण में निर्णय होना अंकित करते हुए विवादित भूमि बाबत् नया दावा पेश करना मानते हुए दिनांक 19.6.2015 को वाद निरस्त कर दिया । रामप्रसाद पुत्र भूरालाल महाजन द्वारा घीसालाल पुत्र धूलचंद ब्राहमण (अपीलांटस के पूर्वज) एवं सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामलक्ष्मण एवं राज्य सरकार के विरूद्ध उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद संख्या 81/2002 प्रस्तुत कर कथन किया कि वर्तमान खसरा नंबर 490 रकबा 0.03 है0, 491 रकबा 0.22 है0 तथा खसरा नंबर 567 रकबा 0.15 है0 के एकीकरण खसरा नंबर 280 थे तथा एकीकरण से पूर्व साबिक खसरा नंबर 321/2 रकबा 2–10–00 बीघा थे जो जरिये नामांतकरण संख्या 48 दिनांक 15.4.1960 को घीसालाल के नाम तस्दीक कर दर्ज कर दिया गया जिससे मूल

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रकबे में से कुल 1–15–00 बीघा भूमि रामप्रसाद की कम हो गई । पुराने खसरा नंबर 321 के एकीकरण खसरा नंबर 280 व 283 बनाये गये थे जिनमें से रामप्रसाद पुत्र भूरालाल ने खसरा नंबर 283 श्रीमती विमला पत्नि रामलक्ष्मण महाजन को विक्रय कर दी तथा खसरा नंबर 280 रामप्रसाद पुत्र भूरालाल की खातेदारी की भूमि है जो गलत रूप से घीसालाल ब्राहमण के नाम दर्ज कर दी । अन्त में उक्त आराजी का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया । उक्त वाद दिनांक 30.11.2005 को अबेट होने से खारिज हो गया । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.11.2004 में अपीलांटस जो कि रिकार्डेड खातेदार है, को पक्षकार बनाये बिना एवं दिनांक 19.6.2015 को पारित निर्णय में अपीलांटस को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जो प्रथमदृष्टया त्रुटिपूर्ण होकर गैर कानूनी एवं शून्य होकर निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2015 निरस्त किया जाकर वादीगण/अपीलांटस को वादग्रस्त आराजियात वर्किंग खसरा नंबर 280 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा आधार खसरा नंबर 490 रकबा 0.03 है0 किस्म गे0मु0चाह, खसरा नंबर 491 रकबा 0.22 है0 एवं 567 रकबा 0.15 है0 का खातेदार घोषित कर अधिकार अभिलेख में बहैसियत खातेदार दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को अपीलांटस के कब्जे काश्त में दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न नहीं करने, अन्यंत्र रहन, बेचान मुंतकिल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात बाबत् उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में पूर्व में वाद संख्या 81/2002 रामप्रसाद बनाम घीसालाल अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया गया था । उक्त वाद के विचाराधीन रहते रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0काश्त0अधि0 1956 पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 9.11.2004 को पारित किया जाकर खसरा नंबर 490, 491, 567 को रेस्पो0 के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये थे । अपीलांटस द्वारा वाद संख्या 81/2002 में काउन्टर क्लेम भी पेश किया था जो अबेट होने से खारिज किया गया है । इस प्रकार विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य पूर्व में अधी0न्याया0 धारा 136 के प्रार्थना पत्र में दिनांक 9.11.2004 को पारित किया जाकर विवादित भूमि खसरा नंबर 490, 491 व 567 रेस्पो0 के नाम इंद्राज करने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में तहसीलदार, केकड़ी द्वारा रेस्पो0 के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज की गई है । इस प्रकार विवादित भूमि के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व में निर्णय पारित हो चुका है । इस कारण अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत नया वाद अधी0न्याया0 के समक्ष संधारण योग्य नहीं था । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादी/अपीलांटस का वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । रामप्रसाद पुत्र भूरालाल महाजन ने अपीलांटस के विरूद्ध वाद पत्र संख्या 81/2002 बउनवानी रामप्रसाद बनाम घीसालाल अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया जिसमें अपीलांटस द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया गया था। उक्त वाद एवं काउन्टर क्लेम के विचाराधीन रहते वर्तमान रेस्पो0/प्रार्थी सुरेन्द्र झंवर पुत्र रामलक्ष्मण झंवर, निवासी सलारी ने उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत पेश किया जिस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तहसीलदार से जांच करवा कर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने आदेश दिनांक 9.11.2004 द्वारा प्रार्थी सुरेन्द्र झंवर का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधि0 स्वीकार कर आदेश दिये कि ग्राम सलारी की वर्तमान जमाबंदी के आराजी खसरा नंबर 490, 491, 567 रकबा क्रमशः 0.03 है0, 0.22 है0, 0.15 है0 घीसालाल के खाते से हटाई जाकर प्रार्थी के नाम रामलक्ष्मण पुत्र रामकृपाल 1/2, सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामलक्ष्मण 1/4, विमला देवी पत्नि रामलक्ष्मण झंवर महाजन 1/4 दर्ज किये जाने एवं इसी अनुसार वर्तमान नक्शे में दुरूस्ती किये जाने की स्वीकृति दी जाती है । प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0भू–राजस्व अधिनियम 1956 में उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है जिसमें घीसालाल को पक्षकार नहीं बनाया गया था जो विधि विरूद्ध है । दिनांक 30.11.2005 को रामप्रसाद पुत्र भूरालाल द्वारा प्रस्तुत वाद अबेट हो जाने के कारण कारण निरस्त कर दिया गया । वादी ने ऐतराज पेश किया कि उक्त वाद में वादी का काउन्टर कलेम विचाराधीन है जिसमें निर्णय किया जावे । उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने दिनांक 30.11.2005 को आदेश पारित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक व अधिकार के लिये नये सिरे से न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपना हक प्राप्त कर सकता है । जब वादी/अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 30.11.2005 की पालना में अधी0न्याया0 के समक्ष वाद संख्या 46/2006 बउनवान घीसालाल बनाम रामलक्ष्मण पेश किया गया तो अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनाक 19.6.2015 को इस आधार पर निरस्त किया कि वादग्रस्त आराजी बाबत् दिनांक 9. 11.2004 को प्रकरण में निर्णय हो चुका है तथा वादी ने वाद निर्णय में वर्णित आराजी बाबत् प्रस्तुत किया है इसलिये वादग्रस्त आराजी के बाबत् वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2015 पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2005 में दिये गये निर्देशों के विपरीत है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को वादीगण/अपीलांटस के वाद को तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2015 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा वाद संख्या 46/2006 में पारित निर्णय दिनांक 19.6.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 22.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर